निगरानी - 2091 - II/15 प्र.क्र. 124

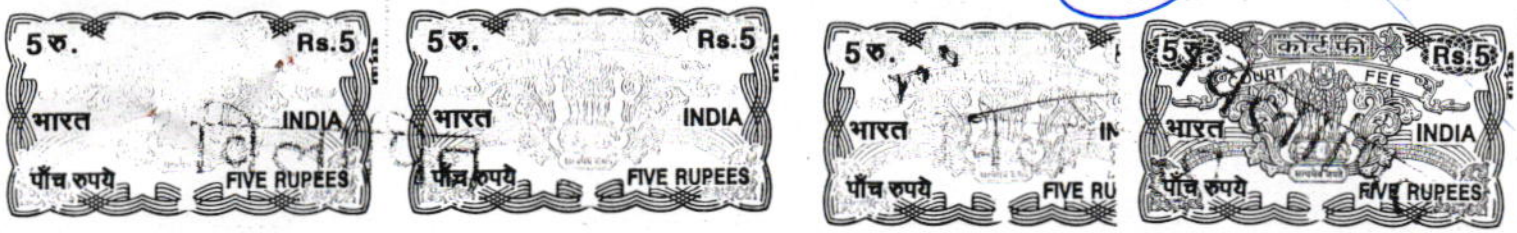

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1. भूपेन्द्र सिंह, उम्र 51 वर्ष, पेशा कृषि
2. उपेन्द्र सिंह, उम्र 49 वष्र, पेशा कृषि, दोनों पुत्र स्व. शिवशरण सिंह, दोनों निवासी ग्राम बमुरहा, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र......................निगराकार/अपीलाण्ट/आवेदकगण

बनाम

राज्य म.प्र. द्वारा श्रीमान् जिलाध्यक्ष (कलेक्टर) महोदय, स्थित कार्यालय–संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन धवारी सतना, जिला–सतना म.प्र.

..............गैरनिगराकार/रेस्पा./अनावेदक

प्रकरण–निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

विरुद्ध–रा.प्र.क्र.48अ6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20.02.14 द्वारा न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील रघुराजनगर, जिला म.प्र. एवं संलग्न रा.प्र. क्र.153अ74/12–13 में पारित आदेश/दिनांक 07.05.14 द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रघुराजनगर सतना तथा सहमत आदेश दिनांक 25.07.14 द्वारा पारित श्रीमान् कलेक्टर महोदय सतना एवं प्र.क्र. 585/अपील/14–15 में श्रीमान् कमिश्नर महोदय रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2015

द्वारा आज दि. 8-7-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 2097–दो/15 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23. 8.16	आवेदक स्वयं उपस्थित। उनके द्वारा स्वयं ही ग्राहयता पर प्रकरण में बहस की गई। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 155/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 25.7.14 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक ने स्वयं अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उक्त आदेश दिनांक 7.5.14 व प्राप्त सहमत आदेश दिनांक 25.7.14 द्वारा आवेदक के चोरी छिपे ढंग से प्रकरण फाइल की नकल मनमानी तारीखे अंकित होने के आधार पर है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आयुक्त रीवा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा बिना संपूर्ण तथ्यों व आधारों को सुने जाने ग्राह्यता के बिन्दु पर ही खारिज कर दिया गया। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। 3– आवेदक के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार के प्रकरण कमांक 48/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20.2.14 एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 155/अ–74/12–13 में आदेश दिनांक 7.5.14 तथा सहमति आदेश दिनांक 25.7.14 द्वारा पारित कलेक्टर सतना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण के विवेचना से पाया गया	

कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सतना के डिक्री के पालन हेतु आवेदन पेश किया गया था। तहसीलदार के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी की ओर तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर की ओर प्रकरण भेजा गया जिसमें कलेक्टर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया तत्काल शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में अपील पेश करें। स्पष्ट है कि बादग्रस्त भूमि म0प्र0 शासन की भूमि है। बादग्रस्त भूमि पर शासन का हित निहित है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान से सही है उसमें हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं समझता हू । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य